Evasion of Customs Duty by East West Airlines

909. SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA:
SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA:
SHRI DILIP SINGH JUDEV:
SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the total number of Aircrafts imported by East-West Airlines during the last three years;

(b) what is the total customs duties paid on each aircraft by the said Airlines; and

(c) whether it is a fact that there is a case of evasion of Customs duty by the said Airlines and if so, what steps are being taken to recover the outstanding customs duties from the East-West Airlines?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): (a) Two aircraft have been imported by M/s. East-West Airways during the last three years.

(b) A duty amount of Rs. 26.32 lakhs was recovered on each aircraft (Total duty recovered Rs. 52.64 lakhs)

(c) No, Sir. There has been no case of evasion of Customs Duty by M/s. East West Airways. There is no arrear of Customs Duty on account of import of aircrafts.

लंबित बीमा दावे

910. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार कार चोरी एवं कार दुर्घटना संबंधी कितने बीमा दावे विभिन्न बीमा कम्पनियों के पास निपटान हेतु लंबित हैं;

(ख) क्या बीमा दावों की निपटाप प्रक्रिया में होने वाला विलंब बीमाकर्ताओं के हितों के विरूद्व हैं;

(ग) क्या सरकार इन दावों का समयबद्व निपटाने सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया में परिवर्तन करने पर विचार कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : (क) 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित सूचना निम्नलिखित हैं:-

कार चोरी के दावे	2,354
कार दुर्घटना के दावे	65,733

(ख) से (ड.) बीमा कंपनियों ने बीमाकर्ताओं और बीमित व्यक्तियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रक्रिया निर्धारित की हैं। वहान चोरी और दुर्घटना दावों के निपटान से संबंधित विद्यमान प्रक्रियाएं इस समय विस्तृत हैं और बीमा कम्पनियों द्वारा इन प्रक्रियाओं में कोई भी परिवर्तन करना अपेक्षित नहीं हैं।

14.11.1994 से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में, आयु वर्ग और आय मापदण्ड के आधार पर, सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के मुआवजे के भुगतान हेतु, तैयार किया गया फार्मूला भी पेश किया हैं। दावेदार अपनी इच्छानुसार मामले को अपने रहने के सामान्य स्थान उपलब्ध मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (एम.ए.सी.टी.) में दर्ज करा सकता हैं या उस एम.ए.सी.टी. में जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना का स्थान पड़ता हो। "कोई गलती नहीं" के आधार पर दावा देय हैं। यदि दावेदार को प्रदान किया गया मुआवजा स्वीकार नहीं हैं, तो वह मामले को एम.ए.सी.टी. में दर्ज करा सकता हैं। इन उपायों से बीमा दावों को शीघ्र निपटान में सहायता मिलेगी।

Condition imposed on Pepsi Co. for Funding Projects

911. SHRI GAYA SINGH:
SHRI V. NARAYANASAMY:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government had while granting approval imposed a condition on Pepsi Co. Inc. that the proposed holdine